

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 1450/11-सी- FP/UP/Road/157011/2022 लखनऊ, दिनांक: नवम्बर 28, 2024

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:-

जनपद बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-laning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to kotdwar pauri road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from Ch.0-000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, नजीबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 हे० आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं बिजनौर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात् कुल 5.27 हे० संरक्षित एवं आरक्षित वन के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव सं०- FP/UP/Road /157011/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित ऑनलाइन प्रस्ताव वन संरक्षक, मुरादाबाद एवं प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग की संस्तुति सहित परिवेश पोर्टल-1.0 में ऑनलाइन प्रेषित किया गया। ऑनलाइन प्रस्ताव का भारत सरकार की गाइडलाइन/एक्ट/प्राविधानों के अनुसार परीक्षण किया गया है। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निम्नांकित अभिलेखों एवं संस्तुति सहित ऑनलाइन प्रस्ताव इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 तथा (यथा संशोधित 1988 एवं 2023) के धारा-2 के अन्तर्गत विषयांकित प्रयोजन हेतु वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित करने की कृपा करें।

1. प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट संलग्न है।
2. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र अपलोड है।
3. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड है।
4. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड लैण्डशड्यूल अपलोड है।
5. परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश अपलोड है।
6. मानक शर्तों के मान्य होने की वचनबद्धता अपलोड है।
7. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) जमा किये जाने की वचनबद्धता अपलोड है।
8. प्रस्तावित वनभूमि का सत्यापित Geo Referenced Digital Map अपलोड है।
9. प्रभावित संरक्षित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि की समतुल्य वनभूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन अपलोड है।
10. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट एवं Geo Referenced Digital Map अपलोड है।
11. गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित छायाप्रति अपलोड है।
12. प्रस्ताव में 10 किमी० परिधि से वन्यजीव बाहर होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र अपलोड है।
13. वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता अपलोड है।
14. प्रस्ताव की पी०डी०एफ० फाईल अपलोड है।

संलग्नक: संस्तुति पत्र।

भवदीय


(बी० प्रभाकर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1450/11-सी FP/UP/Road/157011/2022 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग।
- 3- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०, नजीबाबाद जिला बिजनौर।


(बी० प्रभाकर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Road /157011/2022

➤	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें ।	वन संरक्षक, मुरादाबाद एवं प्रभागीय वनाधिकारी/ निदेशक, बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग द्वारा प्रेषित पार्ट-2 के परीक्षणों परान्त प्रस्ताव में ऐसी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं पायी गयी है।
➤	(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाएं और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाएं।	वन संरक्षक, मुरादाबाद एवं प्रभागीय वनाधिकारी/ निदेशक, बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर :-


28.11.2024

नाम :-

श्री 0 प्रजाक 2

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

सरकारी मुहर :-

लखनऊ

तिथि :-

दिनांक :-